न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-75/2026

CNR. No- UPCH120002152026

उ०प्र० राज्य बनाम अंशू सिंह

अपराध संख्या-21/2020
धारा-427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना-बरगढ़, जिला-चित्रकूट।

दिनांक-10.03.2026

1. अभियुक्त अंशू सिंह की ओर से अपराध संख्या 21/2020, धारा-427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-बरगढ़, जिला चित्रकूट में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 08.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी को इलाका पुलिस द्वारा रंजीसन मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है तथा फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कभी किसी के साथ मारपीट नहीं किया गया है तथा प्रार्थी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी के सहअभियुक्तों की जमानत पूर्व में हो चुकी है। प्रार्थी के ऊपर अधिरोपित धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं एवं सात वर्ष से कम की सजा की हैं, जिस कारण प्रार्थी जमानत पाने का हकदार है। प्रार्थी उचित राशि की जमानतें प्रस्तुत करने को तैयार है। मामले के अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार के भय व प्रलोभन इत्यादि से डराएगा व धमकाएगा नहीं। प्रार्थी की जमानत व मुचलका स्वीकार कर रिहा किए जाने की कृपा की जावे।

3. पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने पर बल दिया गया है।

5. विद्वान सहायक अधिकारी द्वारा अपराध का अजमानती होने का अभिकथन किया गया है तथा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.03.12 10:26:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2020 को संज्ञान लिया जा चुका है। उपरोक्त मामला मजिस्ट्रेट विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत के संदर्भ में सात वर्ष तक की सजा से सम्बंधित मामले में स्थापित विधि व्यवस्था तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. अभियुक्त अंशू सिंह की ओर से अपराध संख्या 21/2020, धारा-427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-बरगढ़, जिला चित्रकूट में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20000/-रु (बीस हजार रुपए मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए-

(i) वह निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ii) वह उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(iii) वह उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यतः या अप्रत्यतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को बिगाड़ेगा नहीं।

(एस० आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
जे.ओ.कोड यू.पी. 4878